

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 58/2024

दायर दिनांक : 07/10/2024

निर्णय दिनांक : 02/12/2024

**उनवान**

1. राजू पिता मांगीलाल सुथार निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर हाल मुई 303 सिल्वर पिलर्स, अहमदाबाद  
**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. बरदीशंकर पिता अम्बालाल जोशी निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
2. गणपतलाल पिता मिदूलाल महाजन निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
3. बद्रीलाल पिता मांगीलाल सुथार निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
4. भेरूलाल पिता मगनीराम जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
5. प्रेमदेवी पुत्री नगजीराम पत्नी माधवलाल जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
6. श्यामलाल पिता रामेश्वरलाल जोशी निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
7. रतनलाल पिता भैरा तेली निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
8. कमलाबाई पत्नी माधूलाल गुर्जर निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
9. किशनलाल पिता गमेर जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
10. डालू पिता गमेर जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
11. शंकरलाल पिता मोहनलाल जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
12. प्रभुलाल पिता नगजीराम जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
13. बदरीलाल पिता नगजीराम जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
14. शंभूसिंह पिता जीतूसिंह राव निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम लुणेरा की खाता संख्या 281 में दर्ज आ.सं. 1368 रकबा 0.20 है., आ.सं. 1588 रकबा 0.51 है., आ.सं. 1803 रकबा 0.20 है., आ.सं. 2258/1380 रकबा 0.02 है., आ.सं. 986 रकबा 0.90 है. कित्ता 5 रकबा 1.83 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली प्रकृत-शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(पुनीत कुमार गेलडा)  
सहायक कलेक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी,  
भूपालसागर

